

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता संचाई खण्ड रामनगर (नैनीताल) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता संचाई खण्ड रामनगर (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2015 से 03/2016 को वस्तुत जाँच हेतु चयनित कया गया। कोसी फीडर का पुनरोद्धार का सुदृढीकरण का वस्तुत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में दिनांक..... से..... का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/17 तथा 09/17 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 11/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-
भाग प्रथम - शून्य
भाग द्वितीय - ₹ 113691.00
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2017 के अन्त में
 - (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 178058.90
 - (ख) सामग्री क्रय शून्य
 - (ग) नगद परिशोधन शून्य
 - (घ) निक्षेप- ₹ 4901058.00
 - (ङ) भण्डार- ₹ 320939.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 कार्य निष्पादन में अनियमताएँ 50.55 लाख ।

रामनगर विकास खण्ड के अधीन चुकन एवं मोहान को बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति 280.00 लाख माह नवम्बर 2016 में एवं इतनी ही राशी की प्रावधानक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) द्वारा माह दिसम्बर 2016 में प्रदान की गयी थी।

संचाई खण्ड रामनगर नैनीताल की लेखापरिक्षा (माह दिसम्बर 2017) में पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु निवृत्त प्रावधानक स्वीकृति अर्थात् मद दर एवं मात्राओं की स्वीकृति मिलने से पूर्व ही जारी कर दी गयी थी साथ ही खण्ड द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली की अनदेखी कर अल्पकाल निवृत्त जारी कर दी गयी, खण्ड को कुल 280 लाख की वृत्तीय स्वीकृति के आक्षेप कुल 130.10 लाख बजट आवंटित किया जा चुका था किन्तु मात्र 50.55 लाख ही, लेखापरिक्षा तिथि तक व्यय किए जा सके थे जबकि कार्य समाप्ति की तिथि (02/10/2017) बीत चुकी थी, आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को समय वस्तुतः स्वीकृत नहीं किया गया था।

लेखापरिक्षा में पड़े जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया कि IS प्राप्त होने की प्रत्याशा में निवृत्त जारी की गयी थी, अल्पकाल निवृत्त जारी करने पर बतलाया गया कि प्रधानसभा निर्वाचन एवं वर्षा काल से पूर्व कार्य करने हेतु ऐसा किया गया, कार्य समय पर पूर्ण न होने पर बतलाया गया कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक अवसर पर JCB हेतु अनुमति लेने के कारण कार्य में देरी हुई, समय वृद्धि प्रकरण पर बतलाया गया कि प्रकरण उच्च अधिकारियों को प्रेषित है। खण्ड का उत्तर लेखापरिक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि प्रावधानक स्वीकृति मिलने से पूर्व अर्थात् बिना मद, मात्रा एवं दर स्वीकृति से पूर्व निवृत्त जारी करना न केवल अनियमित था बल्कि अव्यवहारिक भी था। अल्पकाल निवृत्त जाँच करने का मकसद कार्य जल्दी पूर्ण करना था किन्तु अनुबंधित कार्य समाप्ति की तिथि बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण था। आगे कार्य समय से समाप्त न होने के पीछे वन विभाग द्वारा समय-समय पर अनुमति देने न देने का तर्क भी आधारहीन था क्योंकि खण्ड ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे पुष्टि होती हो कि वन विभाग द्वारा अड़चने पैदा की गयी थी।

अतः 50.55 लाख के कार्य में अपनायी गयी अनियमताओं से सम्बंधित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	15/2003-04	-	1,2	
2	46/2004-05	-	1	
3	23/2005-06	1	1,2	
4	45/2010-11	1	-	
5	64/2013-14	-	1	
6	48/2015-16	-	1,2	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		अनुपालन आख्या निस्तारण हेतु उच्च अधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित की गई है।		-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयंता संचाई खण्ड रामनगर (नैनीताल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i)

2. सतत् अनियमतताएः

(i)

3. कार्यालय गठन से निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री सुधीर कुमार	अधशासी अभयंता

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी	07/2015 तक
2. श्री सुनील कुमार	07/2016 तक
3. श्री वष्णु प्रसाद गुप्ता	10/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता संचाई खण्ड रामनगर (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागड़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II